बिहार सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर,
अपना घर, द्वितीय तल, ललित भवन के पीछे, बेली रोड़, बिहार, पटना।
फोन न0.--0612.2546510

पत्रांक– 225

दिनांक:– 31-01-2020

महत्वपूर्ण सूचना

विश्व बैंक संपोषित परियोजना (Integrated Social Protection Strengthening Project) के अंतर्गत स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर-"सक्षम" के तहत जिला/अनुमंडल स्तर पर स्थापित बुनियाद केंद्र में विभिन्न पदों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन (PR No 006905 (Ni.Ni) 2019-20) के आलोक में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया । प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के आलोक में दिनांक 13/11/2019 से 16/11/2019,17/12/2019 से 18/12/2019, 04/01/2020 एवं 21/01/2020 को आयोजित किये गए काउंसलिंग के उपरांत 13 विभिन्न पदों यथा:- Admin- cum Account Assistant, Case Manager, Senior Physiotherapist, Physiotherapist, Audiologist-cum-Speech language Pathologist, Counsellor/Clinical Pyschologist, Mobility Instructor, Technician-Ophthalmology, Technician- Speech & Hearing, Technician, Prosthetic & Orthotics, Care Giver, Paramedic, Center & Response Van एवं Cook-cum-Helper की औपबंधिक चयन सूची, औपबंधिक प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन www.ssupsw.in पर किया गया है ।

1. औपबंधिक चयन सूची तथा औपबंधिक प्रतीक्षा सूची को 80% प्राप्तांक शैक्षणिक योग्यता पर और शेष 20% प्राप्तांक अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है । अनुभव प्रमाणक में विविधता के कारण subjectivity को minimize करनें के लिए संस्था / प्रशिक्षण की गुणवत्ता में स्थापित मानक के अभाव में अपेक्षित तटस्थता बरतते हुए अनुभव अवधि (वर्ष) आधारित अंक व्यवस्था रखी गयी ताकि चयन का आधार पूर्णतः objective बनाया जा सके ।
2. यह चयन आवेदकों के द्वारा समर्पित प्रमाणकों एवं स्व-घोषित तथ्यों पर ही मुख्यतः आधारित है अतः जब तक निर्विवाद रूप से उसकी वैध्यता / सत्यता स्थापित नहीं हो जाती है तब तक यह नियुक्ति / चयन सूची औपबंधिक ही रहेगी। साथ ही इस आशय का एक शपथ पत्र भी प्रत्येक आवेदकों को देना होगा कि प्रमाणक / तथ्य गलत पाए जाने पर न केवल नियुक्ति रद्द हो जाएगी बल्कि उनके विरुद्ध आवश्यक कारवाई भी की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगें।
3. औपबंधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के योगदान के उपरांत उनके शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच के उपरांत ही उनकी अभ्यर्थता को पूर्ण माना जायेगा । कार्यालय द्वारा इस हेतु सम्बंधित बोर्ड/कार्यालय को शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच हेतु भेजा जायेगा । किसी भी प्रकार की त्रुटी पाए जाने पर उनके विरुद्ध क़ानूनी कारवाई की जाएगी ।
4. चयनित कर्मियों की नियुक्ति मानव संसाधन प्रबंधन एजेंसी के payroll पर की जाएगी । नियुक्ति पत्र मानव संसाधन प्रबंधन एजेंसी द्वारा निर्गत किया जायेगा । एजेंसी द्वारा नव नियुक्त कर्मियों के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।
5. यह नियुक्ति मानव संसाधन प्रबंधन एजेंसी के अधीन ही होगी न की सरकार/सक्षम/निदेशालय के अधीन । चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति परियोजना प्रयोजन हेतु सीमित अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए ही होगी । नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
7. नियोजन के लिए पदवार योगदान की संभावित तिथि दिनांक 06/02/2020 एवं 07/02/2020 है। अपने सभी मूल प्रमाण पत्र(शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि) तथा सभी प्रमाण पत्रों की एक स्व-अभिप्रमाणित प्रति तथा विहित शपथ पत्र (मूल में) अवश्य लाये । डॉक्यूमेंट से सम्बंधित विस्तृत सूचना एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचना के लिए नियमित रूप से सक्षम के वेबसाइट www.ssupsw.in को विजिट करते रहे।

31/01/2020

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सक्षम